



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55103

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

प्रथम अपील संख्या - 263/2026

नरेंद्र शर्मा एवं अन्य

.....अपीलार्थी

बनाम

हितेश कुमार एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: गजाला श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव, मनीष

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: ईश्वर कुमार उपाध्याय, मनोज कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन,

- वर्तमान अपील अपीलार्थियों द्वारा 'उचित प्रतिकार एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 74 के तहत आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 20.01.2026 के विरुद्ध दायर की गई है, जो पीठासीन अधिकारी, एलएआरआरए, गौतम बुद्ध नगर द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 30 के तहत कार्यवाही, संख्या एल.ए.आर. 36/2022 (पुरानी संख्या 29/2017) (नरेंद्र कुमार शर्मा और अन्य बनाम हितेश कुमार और अन्य) में पारित किया गया था, जिसके द्वारा अर्जित भूमि के संबंध में मुआवजे में पक्षों के अंश का निर्धारण किया गया है।
- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी मृतक भारती उर्फ भारत लाल शर्मा के पुत्र हैं, जिनकी मृत्यु 04.04.2000 को हुई थी, जिन्होंने अपने जीवनकाल में विमला उर्फ चिरौंजी देवी से कभी विवाह नहीं किया था, लेकिन धोखाधड़ी से विमला उर्फ चिरौंजी देवी ने राजस्व अभिलेखों में मृतक की पत्नी के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया और उन्होंने अपने कथित पति भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन भी प्राप्त कर ली, जिसके संबंध में अपीलार्थियों द्वारा सक्षम अधिकारियों को शिकायतें की गईं, जिसमें उनके विरुद्ध एक जांच शुरू की गई थी। यह आगे तर्क दिया गया कि इस बात का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं, इसलिए उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी, उनका नाम धोखाधड़ी से दर्ज किया गया और संदर्भ न्यायालय ने उनके बेटे हितेश कुमार को अर्जित भूमि का मुआवजा पाने का हकदार माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी ने धोखाधड़ी से हितेश कुमार के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 29.07.2013 निष्पादित की, जिसे अपीलार्थियों द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर चुनौती दी गई है, अतः कथित वसीयत के आधार पर हितेश कुमार कोई भी मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, लेकिन संदर्भ न्यायालय ने इसके

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विपरीत निर्णय दिया है। यह आगे तर्क दिया गया कि मामला उच्च न्यायालय तक ले जाया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 20.01.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों को राजस्व प्रविष्टियों को सही कराने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत सक्षम मंच के समक्ष घोषणात्मक वाद दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसके अनुपालन में अपीलार्थियों ने संबंधित एस.डी.एम. के समक्ष एक वाद दायर किया है, जो निस्तारण के लिए लंबित है। यह आगे तर्क दिया गया कि चूंकि विमला उर्फ चिरौंजी देवी, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थीं, इसलिए संदर्भ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से उनके पुत्र हितेश कुमार को अर्जित भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता था। इन तर्कों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए।

3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 हितेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी की माता विमला उर्फ चिरौंजी देवी, अपीलार्थी के पिता भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं, जिसके संबंध में संदर्भ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसने उस प्रभाव का सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है। यह आगे तर्क दिया गया कि चूंकि विमला उर्फ चिरौंजी देवी, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं, इसलिए 04.04.2000 को भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की मृत्यु के बाद, राजस्व अभिलेखों में कानूनी वारिस के रूप में उनका नाम दर्ज किया गया था और चूंकि उन्हें आधिकारिक अभिलेखों में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया था, इसलिए विमला उर्फ चिरौंजी देवी ने उत्तर प्रदेश राज्य से पारिवारिक पेंशन भी प्राप्त की, जो निर्णायक रूप से सिद्ध करता है कि वह भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं। यह आगे तर्क दिया गया कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी की वैवाहिक स्थिति को उनके पति भारती उर्फ भारत लाल शर्मा के जीवनकाल में कभी चुनौती नहीं दी गई थी। यह आगे तर्क दिया गया कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत कार्यवाही में विमला उर्फ चिरौंजी देवी की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि केवल परिवार न्यायालय ही इस विवाद को तय करने के लिए सक्षम था लेकिन अपीलार्थियों द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। यह आगे तर्क दिया गया कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी की मृत्यु 03.01.2014 को हो गई है और अपनी मृत्यु से पहले, उन्होंने अपने पुत्र हितेश कुमार के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 29.07.2013 निष्पादित की है, जिसके आधार पर हितेश कुमार ने अर्जित भूमि में आधे हिस्से का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। यह आगे तर्क दिया गया कि किसी भी सक्षम न्यायालय ने अभी तक यह नहीं माना है कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थीं, अतः आज तक उनकी वैवाहिक स्थिति बरकरार है और इसके अलावा राजस्व प्रविष्टियाँ अभी भी निर्णायक रूप से सिद्ध करती हैं कि वह अर्जित भूमि की स्वामी थीं, इसलिए वह अर्जित भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त करने की हकदार थीं। इन तर्कों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि अपील योग्यताहीन है और प्रवेश स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।
4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और आक्षेपित निर्णय तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।
5. वर्तमान अपील में यह तय किया जाना है कि ग्राम भाईपुर ब्राह्मणन में स्थित खाता संख्या 130, गाटा संख्या 506 क्षेत्रफल 0.7180 हेक्टेयर, ग्राम मेहंदीपुर बांगर में स्थित खाता संख्या 139,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गाटा संख्या 965 क्षेत्रफल 0.1260 हेक्टेयर, गाटा संख्या 978 क्षेत्रफल 0.1363 हेक्टेयर, गाटा संख्या 979 क्षेत्रफल 0.0922 हेक्टेयर और गाटा संख्या 983 क्षेत्रफल 0.0010 हेक्टेयर की अर्जित भूमि के लिए कौन मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है और किस सीमा तक?

6. यह स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में, उपरोक्त अर्जित भूमि भारती उर्फ भारत लाल शर्मा के नाम पर थी, जिनकी मृत्यु 04.04.2000 को हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद उ.प्र.ज.वि. एवं भू.व्य. अधिनियम, 1950 की धारा 171 के अनुसार, उनके पुत्रों, नरेंद्र कुमार शर्मा और दिनेश कुमार शर्मा, हितेश कुमार (अन्य पुत्र) जो कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 हैं, तथा उनकी पत्नी विमला उर्फ चिरौंजी देवी के नाम अर्जित भूमि के भूमिधर के रूप में दर्ज किए गए थे। यह और स्पष्ट है कि भारती उर्फ भारत लाल शर्मा उ.प्र. पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे और पेंशन प्राप्त कर रहे थे और अपने जीवनकाल के दौरान, उन्होंने पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी विमला उर्फ चिरौंजी देवी को नामांकित किया था और इसी के दृष्टिगत, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की मृत्यु के बाद, विमला उर्फ चिरौंजी देवी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही थीं। यह और स्पष्ट है कि राजस्व प्रविष्टि को सही कराने के लिए, अपीलार्थियों ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की, जिसे 28.12.2016 को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद, अपीलार्थियों ने उ.प्र.ज.वि. एवं भू.व्य. अधिनियम, 1950 की धारा 210 के तहत एक अपील दायर की, जिसे 08.01.2018 को खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, अपीलार्थियों ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 219 के तहत आयुक्त मेरठ मंडल, मेरठ के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे 05.10.2018 को भी खारिज कर दिया गया था और आदेश को रिट-सी संख्या 36883/2024 (नरेंद्र कुमार शर्मा और अन्य बनाम अपर आयुक्त और अन्य) दायर करके आगे चुनौती दी गई थी, जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत सक्षम मंच के समक्ष घोषणात्मक वाद दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह स्पष्ट है कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी का नाम राजस्व अभिलेखों में मृतक भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी वारिस के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे कभी हटाया नहीं गया, अतः वह अपनी मृत्यु तक अर्जित भूमि की स्वामी बनी रहीं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के आधार पर उनके पुत्र हितेश कुमार का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है।
7. यह और स्पष्ट है कि अपीलार्थियों ने वसीयत दिनांक 29.07.2013 को रद्द करने के लिए ओ.एस. संख्या 101/2014 नरेंद्र बनाम हितेश दायर करके वसीयत को चुनौती दी है; जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन), जेवर गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में लंबित है, लेकिन कथित वसीयत के आधार पर, हितेश कुमार का नाम पहले ही मृतक विमला उर्फ चिरौंजी देवी के कानूनी वारिस के रूप में दर्ज किया जा चुका है।
8. यह और स्पष्ट है कि अपीलार्थियों ने विमला उर्फ चिरौंजी देवी के विरुद्ध कई आपराधिक कार्यवाहियां शुरू कीं लेकिन चूंकि उनकी मृत्यु हो गई, अतः सभी आपराधिक कार्यवाहियां समाप्त हो गईं। यह और स्पष्ट है कि आज तक किसी भी न्यायालय ने यह नहीं माना है कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थीं और इसके अलावा, उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत अपीलार्थियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों में विमला उर्फ चिरौंजी देवी की वैवाहिक स्थिति का निर्णय नहीं किया जा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकता है। यदि अपीलार्थी उनकी वैवाहिक स्थिति को चुनौती देना चाहते थे तो उन्हें परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत गठित सक्षम परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी लेकिन विमला उर्फ चिरौंजी देवी की वैवाहिक स्थिति को चुनौती देने के लिए अपीलार्थियों द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, अतः आज तक ऐसा कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं है कि वह भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थीं।

9. संदर्भ न्यायालय ने इस पर भी विचार किया है कि भारती उर्फ भारत लाल शर्मा और विमला उर्फ चिरौंजी देवी के विवाह से तीन पुत्रियां सुनीता, नूतन, लवली और एक पुत्र हितेश कुमार पैदा हुए थे और ग्राम भाईपुर, ब्राह्मणन की मतदाता सूची से भी यह प्रकट होता है कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की पत्नी थीं और हितेश कुमार, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा के पुत्र थे और इसके अलावा हितेश कुमार के वर्ष 1988 के हाई स्कूल प्रमाण पत्र में भी उनके पिता का नाम भारती उर्फ भारत लाल शर्मा के रूप में दर्ज है। संदर्भ न्यायालय ने यह भी विचार किया कि पा का 11 (Pa Ka 11) में, विमला उर्फ चिरौंजी देवी का नाम अपीलार्थियों और हितेश कुमार के साथ भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की पत्नी के रूप में दर्ज किया गया था, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 36883/2024 में की गई है। संदर्भ न्यायालय ने इन सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है और यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह मानने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि विमला उर्फ चिरौंजी देवी, भारती उर्फ भारत लाल शर्मा की पत्नी नहीं थीं, अतः राजस्व अभिलेखों और विमला उर्फ चिरौंजी देवी द्वारा अपने जीवनकाल में हितेश कुमार के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक अपीलार्थी अर्जित भूमि में अपने 1/4 हिस्से के संबंध में मुआवजा पाने के हकदार थे और प्रत्यर्थी हितेश कुमार अर्जित भूमि के आधे हिस्से का मुआवजा प्राप्त करने के हकदार थे।
10. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, संदर्भ न्यायालय के निष्कर्ष में कोई ऐसी विसंगति नहीं है जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। वर्तमान अपील योग्यताहीन है और प्रवेश स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।
11. तदनुसार, वर्तमान अपील प्रवेश स्तर पर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और डिग्री दिनांक 20.01.2026 की पुष्टि की जाती है।

(संदीप जैन, न्यायमूर्ति)

मार्च 18, 2026

जितेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"